

समय सीमा  
प्रकरण

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 530/05/रूसा/सी.सी./21/अडतीस  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2/7/21

1. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
5. कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर।
8. कुलपति, छिन्दवाडा विश्वविद्यालय, छिन्दवाडा।
9. कुलपति, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल
10. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
11. कुलपति, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना
12. कुलपति, पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल
13. कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु।
14. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल।

विषय - राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध आयोजित बैठक के परिप्रेक्ष्य में सुझाव भिजवाने विषयक।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 29.06.2021 को मान. मंत्री जी उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में प्रदेश में CBCS प्रणाली लागू करने हेतु अपने सुझाव दिनांक 07.07.2021 तक 'ई-मेल academy-he@mp.gov.in' पर प्रेषित करने का अनुरोध है।

  
2-7-21

(प्रो. अनिल कुमार पाठक)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

प्रतिलिपि :-

पृ. क्रमांक/ /05/रूसा/सी.सी./21/अडतीस

भोपाल, दिनांक

1. निज सहायक, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ कि उक्त ई-मेल पर विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों को संकलित करते हुए टास्क-फोर्स की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

/—  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय